भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–89/2020–2021

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
24.11.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 16.12.2020 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 16.12.2020 को उपस्थापित करें। 24/11/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
	आदेश	
16.12.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **मनोहरपुर** के पत्रांक–**604**, दिनांक–**12.12.2020** द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक **14.12.2020** को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **मनोहरपुर** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **(1) भोला तिर्की (2) राजु तिर्की** दोनों के पिता–**स्व0 सोमा तिर्की**, जाति–**उराँव (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**तिरला**, थाना–**मनोहरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। अंचल अधिकारी, **मनोहरपुर** के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि मौजा–**तिरला**, थाना नं0–**117**, खाता नं०–**267**, खेसरा नं0–**651, 659, 660**, रकवा क्रमशः–**0.20 ए0, 0.49 ए0, 0.18 ए0**, कुल रकवा–**0.87 ए0** भूमि क्रेता **प्रभा बोदरा**, पति–**बुधराम बोदरा**, जति–**मुण्डा (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**बरंगा**, थाना–**मनोहरपुर**, जिला–**प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **(1) भोला तिर्की (2) राजु तिर्की** दोनों के पिता–**स्व0 सोमा तिर्की**, जाति–**उराँव (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**तिरला**, थाना–**मनोहरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता का थाना–**मनोहरपुर**, जिला– **प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता का जाति **उराँव(अ.ज.जा.)** एवं क्रेता का जाति–**मुण्डा (अ.ज.जा.)** समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि **ईलाज हेतु** बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को **मनोहरपुर** अंचल अंतर्गत **रकवा 2.66 ए0** अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, **मनोहरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता **(1) भोला तिर्की (2) राजु तिर्की** दोनों के पिता–**स्व0 सोमा तिर्की**, जाति–**उराँव (अ.ज.जा.)**, ग्राम–**तिरला**, थाना–**मनोहरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** उक्त भूमि **2,05,000/– (दो लाख पाँच हजार)** रूपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की **स्वीकृति** दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। 16/12/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	